रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) बड़ी और मीटर लाइन पर लम्बी दूरी की कुछ महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों पर कंडक्टरों की व्यवस्था है।

(ख) अजमेर-रतलाम खण्ड की गाडियों पर कंडक्टरों की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं पाया गया है।

रतलाम और कोटा डिवीजनों (पश्चिम रेलवे) में कंडक्टर

265. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम और कोटा डिवीजनों के कंडक्टरो के पदों सम्बन्धी विवाद विचाराधीन हैं;

(ख) क्या इसके कारण रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के लगभग 30 कंडक्टरों की पदोन्नति रुकी हुई है; और

(ग) यदि हा, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विभिन्न मण्डलों में कंडक्टरो के पदो के वितरण से सम्बन्धित आदेशो को कुछ कर्मचारियों ने न्यायालय मे चुनौती दी है और न्यायालय ने अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी है। निषेधाज्ञा के उठा लिए जाने तक पहले से चालू व्यवस्था जारी रखी जा रही है।

नर्मदा जल विवाद

266. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :
श्री प्रभु दास पटेल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद पर विचार करने के लिए गत जून में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकारियो की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हा, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील): (क) और (ख) गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की एक बैठक 20 और 21 जून, 1972 को हुई थी।

इसके पश्चात् 18 से 22 जुलाई, 1972 तक सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियो/मंत्रियो के साथ विचार-विमर्श किया। मुख्य मंत्रियों ने कहा कि यद्यपि नर्वदा देश की सर्वोत्तम नदियो मे से एक है और इसकी विपुल क्षमता है, इसका अभी तक विकास नही किया गया है। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि दशाब्दी मे इसके विकास को प्राथमिकता प्रदान की जाए। मुख्य मंत्रियों ने महसूस किया कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों मे नर्मदा के विकास में और अधिक देर नही करनी चाहिए और इसलिए वे इस नदी से संबंधित विवादो को आपसी समझौते द्वारा और प्रधान मत्री की सहायता से तय करने के लिए सहमत हो गए।

वर्षों के 75 प्रतिशत के लिए नर्मदा में उपलब्ध जल की मात्रा लगभग 28 मिलियन एकड़ फुट आंकी गयी है। महाराष्ट्र और राजस्थान की उनके अपने क्षेत्रों में उपयोग के लिए जल आवश्यकता क्रमशः 0 25 और 0.5 मिलियन एकड़ फुट है, ये आवश्यकताएं बिना नहर के स्तर का ख्याल किए आंकी गई है।